संख्या-26 /2022/ 610 /002/53-2002-002-2-2021-44बजट/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्धआयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्धविकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 04 अगस्त, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- 224 / दुग्ध4/ नियोजन / उ0प्र0रा0दु0परि0वि0 सहा0 (237)/2022-23, दिनांक 14जुलाई, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-11/2022/227/001-53-2002-002-2-2021-44(बजट)/18, दिनांक 18अप्रैल,2022 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 37.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्राविधानित धनराशि रू0 112.20लाख की अवशेष धनराशि रू0 74.8 0लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 18.70 लाख (रू0 अट्ठारह लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(2) पूर्व में अवशेष धनराशि के उपभोगोपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उ0प्र0 का होगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसीमद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(6) दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(7) दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उ0प्र0 एतद्विषयक शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों /गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(9) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।

(10) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा।

(11) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(12) विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(13) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(14) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें।

(15) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(16) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022,दिनांक07जून,2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 18,70,000 (रूपये अठारह लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या**-016 **लेखाशीर्षक** 2404001021000 उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता **मानक मद** 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-1-132-X-2022-23, दिनांक 02.08.2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव ।

.....3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 26 /2022 /610(1)/53-2-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा),प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0,लखनऊ/प्रयागराज।
3. सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/-
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।